न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 18/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/54

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	1. व्यवस्थापक लेम्पस आंजना, श्री हरेन्द्र सिंह लेम्पस आंजना, आंजना भाग प्रथम 2. सहायक व्यवस्थापक लेम्पस, श्री नाथूलाल पटेल, तहसील अरथुना जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

श्री नागेन्द्र सिह राठौड अधिवक्ता अप्रार्थी सं01

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 09–07–2025

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिला रसद अधिकारी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जन मांग अधिनियम 1952 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि व्यवस्थापक लेम्पस आंजना के नाम जिला कलक्टर (रसद) बाँसवाड़ा द्वारा 'राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976' के तहत आंजना भाग–प्रथम के लिए प्राधिकार–पत्र संख्या 1120/2001 जारी किया गया है। लेम्पस आंजना को ग्राम पंचायत आंजना प्रथम दुकान पर माह सितम्बर 2016 से दिनांक 28.03.2023 को निलम्बित होने तक आंजना में राशन सामग्री का उठाव एवं वितरण लेम्पस आंजना के कार्मिको द्वारा किया गया। यह कि संचालक मंडल लेम्पस आंजना द्वारा प्रस्ताव संख्या 13 पारित कर नाथूलाल पटेल को राशन सामग्री वितरण करने हेतु अधिकृत किया गया।

ग्राम पंचायत आंजना के उपभोक्ताओं को नियमित राशन सामग्री वितरण नहीं करने पर दिनांक 19.03. 2023 को आंजना के वितरण की जांच की गई। जांच में पाया गया कि लेम्पस आंजना द्वारा माह फरवरी 2023 में 126 उपभोक्ताओ को गेहूँ वितरण नहीं कर उन्हें गेहूँ से वंचित रखा गया तथा व्यवस्थापक लेम्पस आंजना को दिनांक 20.03.2023 तक गोदाम का भौतिक सत्यापन हेतु पाबंद किया गयां। दिनांक 21. 03.2023 को पुनः लेम्पस आंजना के गोदाम का भौतिक सत्यापन हेतु [illegible] मौके पर व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह, सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल व प्रबंध कार्यकारिणी अध्यक्ष प[illegible]लाल जी उपस्थित मिले। परन्तु सहायक व्यवस्थापक द्वारा गोदाम का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया। दिनांक 21.03.2023 तक [illegible] आंजना

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

द्वारा उपभोक्ता को 20 प्रतिशत से भी कम वितरण किया गया था। दिनांक 21.03.2023 को लेम्पस आंजना पोस कोड 6022 में ऑनलाईन स्टॉक 417 क्वि. गेहूँ प्रदर्शित हो रहा था।

जांच रिपोर्ट दिनांक 28.03.2023 को जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक 174–78 दिनांक 28.03.2023 द्वारा लेम्पस आंजना का प्राधिकार–पत्र अग्रिम आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया। साथ ही आदेश क्रमांक 189–95 दिनांक 29.03.2023 द्वारा आंजना के वितरण कार्य हेतु आंजना भाग–द्वितीय के डीलर महेशचन्द्र/जगन्नाथ को अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया।

जिला रसद अधिकारी के पत्र क्रमांक 180 दिनांक 28.03.2023 की पालना में व्यवस्थापक लेम्पस आंजना भाग–प्रथम के गोदाम का दिनांक 10.04.2023 को भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में ऑनलाईन दर्ज 458 क्वि. 41 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ की तुलना में मात्र 04 क्वि. 59 किग्रा. गेहूँ ही मौके पर पाये गए। मौके पर पोस मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए। मूल्य सूची व स्टॉक सूची बोर्ड रिक्त पाया गया।

आंजना भाग प्रथम का माह अप्रेल 2023 पेटे वितरण हेतु आवंटित 45 क्वि. 83 किग्रा. गेहूँ दिनांक 28.03.2023 को अस्थाई डीलर महेशचन्द्र/जगन्नाथ आंजना भाग–द्वितीय द्वारा प्राप्त किया गयां था। जो कि दिनांक 01.04.2023 को पोस कोड 6022 में अपडेट/रिसीव किया गया है।

व्यवस्थापक लेम्पस आंजना भाग–प्रथम (पोस कोड 6022) के गोदाम में भौतक रूप से 458 क्वि. 41 किग्रा. गेहूँ मे 45 क्वि. 83 किग्रा. गेहूँ घटाने पर गोदाम में 412 क्वि. 58 किग्रा. गेहूँ भौतिक रूप से होना चाहिए था। परन्तु मौके पर जांच वक्त 04 क्वि. 59 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ पाया गया। इस प्रकार लेम्पस आंजना के व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल द्वारा 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ अस्थाई रूप से अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार को सुपुर्द नहीं किया गया। उक्त गेहूँ लेम्पस के गोदाम में भी उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। साथ ही माह फरवरी 2023 में 126 उपभोक्ताओ को गेहूँ से वंचित रखा गया है, जो 'राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976' के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार–पत्र की शर्त संख्या 2. 5. 9. 10. 11 एवं 18 के साथ ही 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015' के खण्ड 10 (1), 11 (3) का उल्लंघन है। साथ ही आईपीसी की धारा 406 का भी उल्लंघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस कारण लेम्पस आंजना के व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल के विरूद्ध पुलिस थाना अरथूना मे एफआईआर क्रमांक 0208 दिनांक 19.09.2023 को दर्ज करवाई गई है। साथ ही लेम्पस आंजना को ग्राम पंचायत आंजना–प्रथम के लिए जारी प्राधिकार–पत्र क्र. 20/2001 को निरस्त कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त गबन किये गये 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम. गेहूँ की कीमत प्रति क्विंटल 2700/– की दर से राशि रूपया 1101586.50/– बनती है। उक्त राशि रूपया 1101586.50/– की वसूली लेम्पस आंजना, हरेन्द्र

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सिंह व्यवस्थापक लेम्पस आंजना एवं नाथूलाल पटेल, सहायक व्यवस्थापक लेम्पस आंजना से की जानी हैं, जिसका निर्धारित प्रारूप में माँग पत्र फार्म नम्बर 1 इस पत्र के संलग्न भेज कर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में पी०डी०आर० एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया जाकर राशि वसूल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 1101586.50/– रु. वसूली का जारी किया गया। दिनांक 08.08.2024 को अप्राथी सं.1 की ओर से श्री नागेन्द्र सिह राठौड अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ एवं जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया कि प्राथी हरेन्द्र सिंह पिता कल्याण सिंह निवासी दवेला तह. गढी लेम्पस आंजना में प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.06.2022 को हुई थी। मेरे विरुद्ध रुपये 1101586.50/– बकाया होने का नोटिस प्राप्त हुआ है जो गलत है उक्त बकाया राशि अस्वीकार करता हुं, क्योंकि उक्त बकाया राशि के गबन का आरोप सहायक व्यवस्थापक नाथुलाल पटेल के विरुद्ध है उक्त बकाया राशि की जिन वर्षो में कमी पाई गई है तब मेरा पदस्थापन भी नही हुआ था। उक्त बकाया राशि जमा कराने का दायित्व नही बनता है।

लेम्पस में पीडीएस गेहूं वितरण का स्वतंत्र दायित्व प्रबन्ध कार्यकारिणी द्वारा वर्ष 2017–18 से सहायक व्यवस्थापक नाथुलाल पटेल के अधिन था। दिनांक 06.06.2020 को पुनः प्रबन्ध कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव लेकर सहायक व्यवस्थापक श्री नाथूलाल पटेल को "नियंत्रित वस्तुओ के व्यापार में माल उठाकर उपभोक्ताओ में वितरण कर समिति का कमीशन व बारदान नियमानुसार संस्था में जमा करावेंगे। जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी" उक्त प्रस्ताव समिति के प्रबन्ध कार्यकारिणी के द्वारा लिया गया था। वक्त प्रस्ताव मुझ व्यवस्थापक का पद स्थापन नही हुआ था उक्त बकाया की राशि मेरे पदस्थापन के पूर्व से ही है।

आप द्वारा प्रेषित नोटिस के जवाब में प्राथी निवेदन करता है कि मुझ लेम्पस व्यवस्थापक आंजना के विरुद्ध किसी भी प्रकार का बकाया राशि नही है। उक्त बकाया राशि के संबंध में सहायक व्यवस्थापक श्री नाथूलाल पटेल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 प्रथम सूचनाय संख्या 0208/2023 दिनांक 19.09.2023 पुलिस थाना अरथुना में प्रकरण दर्ज है तथा उक्त प्रकरण में सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल पर गबन का आरोप है वर्तमान में सहायक व्यवस्थापक नाथुलाल पटेल न्यायिक अभिरक्षा में जाने के पश्चात् जमानत पर है।

श्रीमान् से निवेदन है कि मेरे विरुद्ध नोटिस व कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करे।

अप्राथी सं. 2 का नोटिस दिनांक 08.08.2024 को बाद तामील पेश हुआ। अप्राथी ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। दिनांक 29.08.2024 को अप्राथी सं. [illegible] लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधिवक्ता नियुक्त करने अवसर चाहा। अप्राथी सं. 1 की ओर से [illegible] के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट 19.03.2023 प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी दिनांक 12.09.2024, 09.10.2024, 24.10.2024 को अप्रार्थी सं. 2 के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी सं. 2 का जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात् आगामी पेशी दिनांक में भी अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित रहे है।

दिनांक 16.04.2025 को अप्रार्थी सं.1 की ओर से लिखित बहस पेश की गई। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में हुबहु जवाब के बिन्दुओ को पुनः दौहराया गया है।

दिनांक 02.07.2025 को अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत आंजना के उपभोक्ताओं को नियमित राशन सामग्री वितरण नहीं करने पर दिनांक 19.03.2023 को आंजना के वितरण की जांच की गई। जांच में पाया गया कि लेम्पस आंजना द्वारा माह फरवरी 2023 में 126 उपभोक्ताओ को गेहूँ वितरण नहीं कर उन्हें गेहूँ से वंचित रखा गया तथा व्यवस्थापक लेम्पस आंजना को दिनांक 20.03.2023 तक गोदाम का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पाबंद किया गयां। दिनांक 21.03.2023 को पुनः लेम्पस आंजना के गोदाम का भौतिक सत्यापन के दौरान मौके पर व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह, सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल व प्रबंध कार्यकारिणी अध्यक्ष पोपटलाल जी उपस्थित थे। परन्तु सहायक व्यवस्थापक द्वारा गोदाम का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया। दिनांक 21.03.2023 तक लेम्पस आंजना द्वारा उपभोक्ता को 20 प्रतिशत से भी कम वितरण किया गया था। दिनांक 21.03.2023 को लेम्पस आंजना पोस कोड 6022 में ऑनलाईन स्टॉक 417 क्वि. गेहूँ प्रदर्शित हो रहा था।

जांच रिपोर्ट दिनांक 28.03.2023 को जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक 174–78 दिनांक 28.03.2023 द्वारा लेम्पस आंजना का प्राधिकार–पत्र अग्रिम आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया। साथ ही आदेश क्रमांक 189–95 दिनांक 29.03.2023 द्वारा आंजना के वितरण कार्य हेतु आंजना भाग–द्वितीय के डीलर महेशचन्द्र/जगन्नाथ को अस्थाई रूप से अधिकृत किया गया।

जिला रसद अधिकारी के पत्र क्रमांक 180 दिनांक 28.03.2023 की पालना में व्यवस्थापक लेम्पस आंजना भाग–प्रथम के गोदाम का दिनांक 10.04.2023 को भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन में ऑनलाईन दर्ज 458 क्वि. 41 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ की तुलना में मात्र 04 क्वि. 59 किग्रा. गेहूँ ही मौके पर पाये गए। मौके पर पोस मशीन एवं स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाए गए। मूल्य सूची व स्टॉक सूची बोर्ड रिक्त पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested

आंजना भाग प्रथम का माह अप्रेल 2023 पेटे वितरण हेतु [illegible] क्वि. 83 किग्रा. गेहूँ दिनांक 28.03.2023 को अस्थाई डीलर महेशचन्द्र/जगन्नाथ आंजना भाग–द्वितीय [illegible] किया गया था। जो कि दिनांक 01.04.2023 को पोस कोड 6022 में अपडेट/रिसीव किया गया है।

व्यवस्थापक लेम्पस आंजना भाग–प्रथम (पोस कोड 6022) के गोदाम में भौतक रूप से 458 क्वि. 41 किग्रा. गेहूँ मे 45 क्वि. 83 किग्रा. गेहूँ घटाने पर गोदाम में 412 क्वि. 58 किग्रा. गेहूँ भौतिक रूप से होना

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

चाहिए था। परन्तु मौके पर जांच वक्त 04 क्वि. 59 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ पाया गया। इस प्रकार लेम्पस आंजना के व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल द्वारा 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ अस्थाई रूप से अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार को सुपुर्द नहीं किया गया। उक्त गेहूँ लेम्पस के गोदाम में भी उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। साथ ही माह फरवरी 2023 में 126 उपभोक्ताओ को गेहूँ से वंचित रखा गया है, जो 'राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976' के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार–पत्र की शर्त संख्या 2. 5. 9. 10. 11 एवं 18 के साथ ही 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015' के खण्ड 10 (1), 11 (3) का उल्लंघन है। साथ ही आईपीसी की धारा 406 का भी उल्लंघन है। उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। इस कारण लेम्पस आंजना के व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल के विरूद्ध पुलिस थाना अरथूना मे एफआईआर क्रमांक 0208 दिनांक 19.09.2023 को दर्ज करवाई गई है। साथ ही लेम्पस आंजना को ग्राम पंचायत आंजना–प्रथम के लिए जारी प्राधिकार–पत्र संख्या 1120/2001 को निरस्त कर दिया गया है।

उक्त गबन किये गये 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम. गेहूँ की कीमत प्रति क्विंटल 2700/– की दर से राशि रूपया 1101586.50/– बनती है। उक्त राशि रूपया 1101586.50/– की वसूली लेम्पस आंजना, हरेन्द्र सिंह व्यवस्थापक लेम्पस आंजना एवं नाथूलाल पटेल, सहायक व्यवस्थापक लेम्पस आंजना से करने पी०डी०आर० एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकृत फरमावे।

हमने विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत बहस, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि व्यवस्थापक लेम्पस आंजना भाग–प्रथम (पोस कोड 6022) के गोदाम में भौतक रूप से 458 क्वि. 41 किग्रा. गेहूँ मे 45 क्वि. 83 किग्रा. गेहूँ घटाने (जो अस्थायी डीलर आंजना भाग द्वितीय द्वारा प्राप्त किया गया था) पर गोदाम में 412 क्वि. 58 किग्रा. गेहूँ भौतिक रूप से होना चाहिए था। परन्तु मौके पर वक्त जांच 04 क्वि. 59 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ पाया गया। इस प्रकार लेम्पस आंजना के व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल द्वारा 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम गेहूँ अस्थाई रूप से अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार को सुपुर्द नहीं किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगणो द्वारा 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम. गेहूँ का गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। अप्रार्थीगणो द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 9, 10 व 11 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अप्रार्थीगणो के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर [illegible] का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है एवं पुलिस थाना अरथुना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज [illegible] प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा उनके प्रकरण सं. 60/2023 में निर्णय दिनांक 26.12.2023 द्वारा प्राधिकार पत्र संख्या 1120/2001 निरस्त किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:18 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थीगण लेम्पस आंजना के व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल द्वारा 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम गेहूं का गबन किया गया। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। इस प्रकार 407 क्वि. 99 किग्रा. 500 ग्राम. गेहूँ की कीमत प्रति क्विंटल 2700/— की दर से राशि रूपया 1101586.50/— बनती है। उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी व्यवस्थापक हरेन्द्र सिंह एवं सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत राशि विभाग अनुसार 1101586.50/— रु. अक्षरे ग्यारह लाख एक हजार पांच सौ छियासी रुपया पचास पैसा मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09—07—2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:18 IST
Reason: SelfAttested